

परिषद् के **मेरठ जोन** के अन्तर्गत मेरठ, हापुड, सहारनपुर, गाजियाबाद तथा खतौली में आवासीय/अनवासीय सम्पत्तियों का आवंटन /नीलामी

छोटे व्यावसायिक भूखण्डों का आवंटन/नीलामी



आवंटन/नीलामी स्थल

सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, जागृति विहार, मेरठ

IS 15700:2005



सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Website: <http://www.upavp.in> E-mail: info@upavp.com

मेरठ जोन के अन्तर्गत शास्त्रीनगर, जागृति विहार एवं माधवपुरम योजना में व्यवसायिक भूखण्डों/भूखण्ड/दुकानों आदि सम्पत्तियों की नीलामी (एक करोड़ तक की सम्पत्तियों का विवरण)

सम्पत्तियों की श्रेणी/प्रकार	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.मी. में	एफ.ए.आर.	ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत	अधिकतम ऊंचाई मी. में	भूमि दर फ्री होल्ड सहित प्र.व.मी.	आरक्षित मूल्य प्रति नग	टोकन मनी की धनराशि
व्यवसायिक भूखण्ड एल ब्लॉक (04 नग)	एल – 1185/2 (Corner)	77.76	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	10.50	59136.00	4598415	459842
	आई. एस. – 116 (Corner)	156.00	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	10.50	59136.00	9225216	922522
	आई. एस. – 116/2	128.00	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	10.50	53760.00	6881280	688128
	आई. एस. – 184	181.60	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	10.50	53760.00	9762816	976282
दुकानें के ब्लॉक (11 नग) शास्त्रीनगर योजना संख्या – 3, मेरठ	K-1	8.062					1160000	116000
	K-2, 3, 4, 12, 15, 16	9.099					1309350	130935
	K-17, 18, 22, 25	8.131					1169900	116990

माधवपुरम, योजना संख्या-10, मेरठ (नवविकसित व्यावसायिक भूखण्ड)

सम्पत्तियों की श्रेणी/प्रकार	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.मी. में	एफ.ए.आर.	ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत	अधिकतम ऊंचाई मी. में	भूमि दर फ्री होल्ड सहित प्र.व.मी.	आरक्षित मूल्य प्रति नग	टोकन मनी की धनराशि
व्यवसायिक भूखण्ड 80 व.मी. तक सेक्टर-1 (08 नग)	1/CP-9 (GEN)	78.00	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	36960.00	2882880	288288
	1/CP-10 (GEN)	78.00	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	36960.00	2882880	288288
	1/CP-11 (GEN)	78.00	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	36960.00	2882880	288288
	1/CP-12 (GEN)	78.00	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	36960.00	2882880	288288
	1/CP-13 (Corner) (GEN)	110.50	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	40656.00	4492488	449249
	1/CP-16 (GEN)	78.00	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	36960.00	2882880	288288
	1/CP-17 (Corner) (GEN)	117.00	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	40656.00	4756752	475675
	1/CP-20 (GEN)	78.00	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	36960.00	2882880	288288
व्यवसायिक भूखण्ड 171 व.मी. से अधिक सेक्टर-3 (01 नग)	3F-488/1 (SC)	173.52	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	36960.00	6413299	641330

नीलामी से निस्तारित होने वाले आवासीय भूखण्ड

सम्पत्तियों की श्रेणी/प्रकार	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.मी. में	एफ.ए.आर.	ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत	अधिकतम ऊंचाई मी. में	भूमि दर फ्री होल्ड सहित प्र.व.मी.	आरक्षित मूल्य प्रति नग	टोकन मनी की धनराशि
आवासीय भूखण्ड 171 व.मी. से अधिक सेक्टर-1 (02 नग)	1/R-02 (OBC)	201.50	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	18480.00	3723720	186186
	1/R-09 (SC)	201.50	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	18480.00	3723720	186186
सेक्टर-2 (01 नग)	2/264 (SC)	171.00	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	18480.00	3160080	158004
सेक्टर-4 (01 नग)	4/543 (GEN)	179.10	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	18480.00	3309768	165488

आवंटन से निस्तारित होने वाली आवासीय भूखण्ड

माधवपुर योजना संख्या – 10, मेरठ

सम्पत्तियों की श्रेणी/प्रकार	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.मी. में	भूमि दर फी होल्ड सहित प्र.व. मी.	आरक्षित मूल्य	पंजीकरण की धनराशि
80 व.मी. तक के आवासीय भूखण्ड (01 नग)	1 बी/942 कार्नर (सामान्य)	37.44	20328.00	761080	38054

ई-ऑक्शन/ई-टैण्डरिंग के लिए 1.00 करोड़ से अधिक मूल्य की सम्पत्तियों का विवरण

माधवपुर योजना संख्या – 10 मेरठ

सम्पत्तियों की श्रेणी/प्रकार	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.मी. में	एफ.ए.आर.	ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत	अधिकतम ऊंचाई मी. में	भूमि दर फी होल्ड सहित प्र.व.मी.	आरक्षित मूल्य प्रति नग	टोकन मनी की धनराशि
होम भूखण्ड सैक्टर-1 (01 नग)	1NH-01 (Corner)	374.84	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	30492.00	11429926	1142993
व्यवसायिक भूखण्ड सैक्टर-1 (07 नग)	1/CP-5 (GEN) (Corner)	292.50	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	40656.00	11891880	1189188
	1/CP-22 (GEN)	316.20	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	36960.00	11686752	1168675
	1/CP-23 (GEN) (Corner)	316.20	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	40656.00	12855427	1285543
	1/CP-27 (GEN)	627.25	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	36960.00	23183160	2318316
	1/CP-24 (GEN) (Corner)	640.00	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	40656.00	26019840	2601984
	1/CP-26 (GEN)	650.00	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	36960.00	24024000	2402400
	1/CP-25 (GEN) (Corner)	737.10	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	40656.00	29967538	2996754
मल्टीप्लैक्स भूखण्ड (01 नग)	2/एम.पी.-01 (कार्नर)	7300.00	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	40656	296788800	29678880
ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड (01 नग)	2/जीएच-2 (कार्नर)	8400.00	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	30492	256132800	25613280
व्यवसायिक भूखण्ड सैक्टर-2 (01 नग)	2CP-1 2PR-1 (पार्किंग हेतु)	1701.50 + 203.50 =1905.00	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	40656	77449680	7744968

जागृति विहार, योजना संख्या-11 (विस्तार), मेरठ

सम्पत्तियों की श्रेणी/प्रकार	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.मी. में	एफ.ए.आर.	ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत	अधिकतम ऊंचाई मी. में	भूमि दर फी होल्ड सहित प्र.व.मी.	आरक्षित मूल्य प्रति नग	टोकन मनी की धनराशि
ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड (02 नग)	2/GH-1 (Corner) (GEN)	10400.00	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	36775	382460000	38246000
व्यवसायिक भूखण्ड सैक्टर-1 (07 नग)	2/GH-2 (Corner) (GEN)	11000.00	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	उप विधि के अनुसार	36775	404525000	40452500

वसुन्धरा योजना / सिद्धार्थ विहार / मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद में
रिक्त आवासीय / अनावासीय सम्पत्तियों को प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

आवंटन / नीलामी स्थल: सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, जागृति विहार, योजना सं.-6, मेरठ

वसुन्धरा योजना गाजियाबाद सेक्टर-1 5 शिखर एन्कलेव (आवासीय सम्पत्तियाँ)

सम्पत्तियों की संख्या	सम्पत्ति की श्रेणी	क्षेत्रफल (व.मी.)	आरक्षित श्रेणी	आरक्षित मूल्य फ्री होल्ड सहित (रु. में)	पंजीकरण / टोकन धनराशि (रु.)
13	02 बी.एच.के. (छठे तल से नवे तल तक)	106.21	अनारक्षित	7922000.00	396100.00
4	03 बी.एच.के. (पाचवे तल से नवे तल तक)	144.48	अनारक्षित	12349000.00	617500.00

वसुन्धरा योजना गाजियाबाद सेक्टर-4 सी के दुर्बल आय वर्ग चार मंजिले (आवासीय सम्पत्तियाँ)

सम्पत्तियों की श्रेणी	सम्पत्ति की संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	आरक्षित श्रेणी	आरक्षित मूल्य फ्री होल्ड सहित (रु. में)	पंजीकरण / टोकन धनराशि (रु.)
एफ-37	4 सी / 4222 (तृतीय तल)	37.00	अनारक्षित	2502100.00	125150.00

सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद ब्रह्मपुत्र एन्कलेव के निरस्तीकरण से रिक्त चार मंजिले (आवासीय सम्पत्तियाँ) नीलामी द्वारा

क्रम सं.	सम्पत्ति की प्रकार	क्षेत्रफल (व.मी.)	फ्लैट की श्रेणी	फ्लैटों की संख्या	कुल मूल्य	पंजीकरण / टोकन धनराशि (रु.)
1	ब्रह्मपुत्र योजना	47.73	भूतल	67	3198400.00	160000.00
		47.73	प्रथम तल	26	2663400.00	133200.00
		47.73	द्वितीय तल	53	2603000.00	130200.00
		47.73	तृतीय तल	98	2543600.00	127200.00

मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद (आवासीय दुर्बल आय वर्ग फ्लैट)

सम्पत्ति की प्रकार	क्षेत्रफल (व.मी.)	भवनों की संख्या	तल	धनराशि	पंजीकरण धनराशि 50 प्रतिशत	एकमुश्त धनराशि 50 प्रतिशत	रिमार्क
दुर्बल आय वर्ग	28.41	145	चार मंजिले	595000.00	29750.00	59500.00	विविध शुल्क आदि देय अलग से होगा तथा रु. 1.00 लाख तक का आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी ये निर्गत होना चाहिए।

सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद के आवंटन हेतु दुर्बल आय वर्ग भवनों के सम्बन्ध में (आय सीमा - 100000.00 तक)

क्रम सं.	भवन संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	तल	आरक्षण श्रेणी	आरक्षण मूल्य (रु. लाख में)	टोकन धनराशि (50 प्रतिशत)
	9/2617	30.72	तृतीय तल	अनारक्षित	1173000.00	58650.00

सिद्धार्थ विहार योजना के गंगा यमुना हिण्डन अपार्टमेंट (आवंटन द्वारा)

क्रम सं.	सम्पत्ति श्रेणी	फ्लैटों का संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी.	कुल मूल्य लाख में	टोकन धनराशि (लाख में) 5 प्रतिशत)	एक माह के अन्दर देय धनराशि (लाख में)	शेष 85 प्रतिशत धनराशि 11.5 प्रतिशत ब्याज सहित 120 मासिक किश्ते	रिमार्क
1	हिण्डन अपार्टमेंट							
	1 बी.एच.के.	34	41.66 से 42.68	49.65	2.49	4.97	अवशेष की 120 किश्ते	मूल्य के अतिरिक्त कवर्ड पार्किंग हेतु रु.- 1.75 लाख, खुली पार्किंग हेतु रु. - 0.75 लाख अतिरिक्त देय होगा। 01 बी.एच.के. हेतु रु. - 1.00 लाख एवं, 02 बी.एच.के. हेतु रु. 1.45 लाख एवं 02 बी.एच.के. + स्टडी हेतु रु. 1.75 लाख कार्पस फण्ड देय होगा। सामान्य रख-रखाव हेतु रु. 1.50 प्रति वर्ग फुट अतिरिक्त देय होगा।
	2 बी.एच.के.	122	66.64 से 67.39	76.22	3.82	7.63	तदैव	
2	यमुना अपार्टमेंट							
	03 बी.एच.के.	121	108.32	93.35	4.67	9.34	तदैव	
	2 बी.एच.के. + स्टडी	175	97.47 से 98.30	91.70	4.59	9.17	तदैव	
	पेन्ट हाउस पर्ल	3	103.49	130.58	6.53	13.06	तदैव	
	पेन्ट हाउस रुबी	4	106.70	165.88	8.30	16.59	तदैव	
	गंगा अपार्टमेंट							
	3 बी.एच.के. + स्टडी	120	94.93	130.80	6.54	13.08	तदैव	
	3 बी.एच.के. + स्टडी + टेरेस	7	101.87	147.14	7.36	14.72	तदैव	
	4 बी.एच.के. + स्टडी	109	108.70	149.62	7.49	14.97	तदैव	
	पेन्ट हाउस डायमण्ड	4	156.07	190.20	9.51	19.02	तदैव	

मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद (व्यावसायिक हॉल)

क्रम सं.	सम्पत्ति की श्रेणी	सम्पत्ति की संख्या	व्यावसायिक हॉल का नम्बर	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	आरक्षित श्रेणी	आरक्षित मूल्य	टोकन राशि (रु. में)
1	व्यावसायिक हॉल	01	4A/H-1	96.09	सामान्य	6792000.00	679200.00
		01	4A/H-2	86.82	सामान्य	6137000.00	613700.00
		01	5/H-1	62.92	सामान्य	5972000.00	597200.00

मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद (व्यावसायिक भूखण्ड)

क्रम सं.	भूखण्ड की श्रेणी	भूखण्ड की नम्बर	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	आरक्षित श्रेणी	आरक्षित मूल्य प्रति वर्गमी.	टोकन धनराशि (रु. में)
1	व्यावसायिक भूखण्ड	17 / कॉम - 2	150.36	सामान्य	53760.00	808400.00
2	व्यावसायिक भूखण्ड	17 / कॉम - 3	149.31	सामान्य	53760.00	802700.00
3	व्यावसायिक भूखण्ड	17 / कॉम - 4	149.60	सामान्य	53760.00	804300.00

मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद (छोटे व्यावसायिक भूखण्ड)

क्रम सं.	भूखण्ड की श्रेणी	भूखण्ड की संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	आरक्षित दर	आरक्षित मूल्य	टोकन धनराशि (10 प्रतिशत)
1	व्यावसायिक भूखण्ड	22	48.66 से 115.00 वर्गमी. तक	53760.00	2615970.00 से 6224340.00 तक	261600.00 से 622500.00 तक
2	व्यावसायिक भूखण्ड	03 (कार्नर)	50.00 से 55.58 वर्गमी. तक	59136.00	2956800.00 से 3286800.00 तक	295680.00 से 328700.00 तक

मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद आवासीय फ्लैट (आवंटन से)

सम्पत्ति के प्रकार	क्षेत्रफल वर्ग मी.	फ्लैटों की संख्या	तलवार	धनराशि	पंजीकरण धनराशि 05 प्रतिशत	एकमुश्त धनराशि 10 प्रतिशत	रिमार्क
आसरा-1	33.59	1242	भूतल	1364000	68200	136400	विविध शुल्क, कार पार्किंग, कार्पस फण्ड व जी.एस.टी. अलग से देय होगी।
			प्रथम तल	1234000	61700	123400	
			द्वितीय तल	1219600	60980	121960	
			तृतीय तल	1205200	60260	120520	
आसरा-2	47.73	249	भूतल	2203000	110150	220300	
			प्रथम तल	1972000	98600	197200	
			द्वितीय तल	1946500	97325	194650	
			तृतीय तल	1920600	96030	192060	
सपना-1	64.72	166	भूतल	3773100	188655	377310	
			प्रथम तल	3460000	173000	346000	
			द्वितीय तल	3425000	171250	342500	
			तृतीय तल	3390500	169525	339050	
सपना-2	86.04	211	भूतल	4970000	248500	497000	
			प्रथम तल	4553600	227680	455360	
			द्वितीय तल	4507500	225375	450750	
			तृतीय तल	4461100	223055	446110	

नीलामी हेतु प्रमुख शर्तें

**नीलामी स्थल पर केवल टोकन लेकर बोलीदाता ही प्रवेश कर सकेंगे।
नीलामी स्थल पर प्रातः 11:00 बजे से 5:00 बजे तक टोकन प्राप्त किया जा सकता है।**

(1) व्यावसायिक सम्पत्तियों में एफ.ए.आर., संस्थागत भूखण्ड, नर्सिंग होम, सामुदायिक केन्द्र भूखण्डों में एफ.ए.आर. एवं सम्पत्ति के बारे में विस्तृत जानकारी सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय गाजियाबाद से प्राप्त की जा सकती है। (2) सम्पत्तियों का आवंटन/नीलामी शासनादेश/परिषद के प्रदेशन सम्बन्धी विनियम व आदेशों के अनुरूप सम्पन्न की जायेगी। इच्छुक क्रेताओं को अनावासीय/आवासीय सम्पत्तियों के आरक्षित मूल्य की टोकन धनराशि उपरोक्तानुसार एवं कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर तदनुसार बैंक ड्राफ्ट/बैंक्स चैक अथवा पे-ऑर्डर जो कि उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद गाजियाबाद के पक्ष में देय हो आवेदन फार्म भरकर खुली नीलामी में भाग ले सकते हैं, सील्ड बिड कार्यालय कार्यदिवस में नीलामी से पूर्व दिनांक तक सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय गाजियाबाद में दी जा सकती है। टोकन दिनांक को प्रातः 10:00 बजे से नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व तक निर्गत किये जायेंगे। संस्थागत भूखण्डों की नीलामी में केवल संस्थाओं द्वारा ही प्रतिभाग किया जा सकता है। सम्पत्तियों की संख्या में कमी तथा क्षेत्रफल में कमी व वृद्धि हो सकती है। (3) व्यावसायिक भूखण्डों में आरक्षित श्रेणी के आवेदकों द्वारा उ.प्र. सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति नीलामी से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। (4) सम्पत्तियों की एफ.ए.आर. आदि की जानकारी वास्तुविद नियोजक इकाई-5, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरानगर, लखनऊ से प्राप्त की जा सकती है। (5) आवासीय सम्पत्ति के आवेदकों को अपने आवेदन पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके पति/पत्नी/अवस्यक बच्चों के पास कोई भवन/भूखण्ड गाजियाबाद शहर में नहीं है तथा उ.प्र. के किसी अन्य नगर में एक से अधिक भवन/भूखण्ड नहीं है। विज्ञापन व्यय प्राप्त उच्चतम बोली का 0.25 प्रतिशत अलग से लिया जायेगा। सम्पत्ति का कब्जा श्रेणी में वांछित एकमुश्त धनराशि जमा होने के उपरान्त शासनादेश के अनुसार देय स्टाम्प ड्यूटी जमा करने पर पंजीकृत अनुबन्ध के माध्यम से दिया जायेगा। आवेदन पत्र रु. 100.00 का भुगतान कर सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय सेक्टर-16 ए, वसुन्धरा काम्पलेक्स हाल एस-1, गाजियाबाद से प्राप्त कर सकते हैं तथा आवंटन से पूर्व दिनांक को अपराह्न 3:00 बजे तक सहमति प्रार्थना पत्र कार्यालय में जमा कर सकते हैं। सम्पत्ति का आवंटन नीलामी सम्पन्न होने के उपरान्त किया जायेगा। आवंटन स्थल पर आवंटन हेतु आवेदन पत्र ग्राह्य नहीं है, ऐसे आवेदन पत्रों को आगामी आवंटन में शामिल किया जा सकेगा। आसरा, सपना, गंगा, यमुना, हिण्डन परियोजनाओं में पार्किंग शुल्क, कार्पस फण्ड, जी.एस.टी. पृथक से कब्जा पूर्व देय होगी। आसरा, सपना के भवनों में कार्पस फण्ड अलग से देय होगा। (6) दुर्बल आय वर्ग हेतु आवेदक की गत वित्तीय वर्ष 2018-19 की वार्षिक आय रु. 100000.00 के अन्तर्गत होनी चाहिए, उ.प्र. का निवासी होना चाहिए। आय के सम्बन्ध में उ.प्र. सरकार द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा व रु. 10.00 के स्टाम्प पेपर पर गाजियाबाद में कोई भवन/भूखण्ड न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। मण्डोला योजना के सभी दुर्बल आय वर्ग भवनों के तलों का मूल्य समान है। सम्पत्ति का आवंटन लाटरी ड्रा द्वारा किया जायेगा एवं सम्पत्ति का कब्जा 10 प्रतिशत एकमुश्त लेने के बाद दिया जायेगा। शेष धनराशि का भुगतान 9.5 प्रतिशत ब्याज सहित 180 किश्तों में देय होगा। (7) किसी भी विवाद की दशा में आवास आयुक्त (म.) का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा। (8) खून के रिश्ते में आवेदन करने पर परिषद नियमानुसार खून के रिश्ते का सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

आवास आयुक्त

पठानपुरा योजना संख्या - 1 (विवेक नगर) सहारनपुर, शाकुम्भरी विहार
(मवीकलाँ योजना संख्या -8), सहारनपुर, अशोक विहार योजना -खतौली एवं
चरण विहार योजना, बड़ौत में स्थित आवंटन/नीलामी हेतु अवशेष रिक्त सम्पत्तियाँ
(आरक्षित मूल्य रु. 1.00 करोड़ तक)

आवासीय एवं गैर आवासीय सम्पत्तियाँ

नीलामी के माध्यम से आवंटित की जाने वाली आवासीय एवं गैर आवासीय (व्यावसायिक) सम्पत्तियों का विवरण

• गैर आवासीय सम्पत्तियाँ •

नीलामी के माध्यम से आवंटित की जाने वाली गैर आवासीय (व्यावसायिक) सम्पत्तियों का विवरण

गैर आवासीय सम्पत्तियाँ

पठानपुरा योजना संख्या - 1 (विवेक नगर), सहारनपुर

सम्पत्ति की श्रेणी / प्रकार	सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	आरक्षित मूल्य (लाख में)	टोकन मनी (रु. लाख में)
दुकान (कुल 02 नग)	S-19	9.62	6.69	0.67
	S-20	14.196	9.78	0.98

शाकुम्भरी विहार (मवीकलाँ योजना संख्या -8) सहारनपुर

सम्पत्ति की श्रेणी / प्रकार	सम्पत्ति संख्या	आरक्षण	क्षेत्रफल (व.मी. में)	एफ.ए.आर	ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत	अधिकतम ऊँचाई (मी.में)	आरक्षित भूमिदर (प्र.व.मी.) फ्री होल्ड सहित	आरक्षित मूल्य (लाख में)	टोकन मनी (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
प्रीमियम हाउस भूखण्ड 02 नग	3D-08	सामान्य	300.00	1.50	55%	उप विधि के अनुसार	24948.00	74.85	7.49
	3D-10	सामान्य	300.00	1.50	55%	उप विधि के अनुसार	24948.00	74.85	7.49

नोट : प्रीमियम हाउसेज भूखण्डों (प्री.हा.भू.) में भविष्य में अतिरिक्त शुल्क लेकर उनके भू-तल पर ही व्यावसायिक गतिविधियाँ निम्न प्रतिबन्धों के साथ एवं तत्समय लागू नियमों के अनुसार अनुमन्य की जा सकती है।

- (क) भूखण्डों में सब डिविजन/विक्रय अनुमन्य नहीं होगा।
- (ख) भविष्य में भू-तल पर व्यावसायिक गतिविधियों हेतु स्वयं के अतिरिक्त की दशा में अनुमति सक्षम स्तर से प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।
- (ग) प्रीमियम भूखण्डों में मानचित्र स्वीकृति शुल्क व पार्किंग की गणना प्रस्तावित आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रफल के सापेक्ष परिषद के नियमानुसार अलग-अलग गणना की जायेगी।
- (घ) इन भूखण्डों में केवल तीन तल ही अनुमन्य होंगे व बेसमेन्ट की गणना तलों में की जायेगी, केवल भू-तल पर ही व्यावसायिक प्रयोग अनुमन्य होगा। बेसमेन्ट प्रयोग केवल भण्डारण/पार्किंग हेतु ही किया जा सकेगा।
- (च) भविष्य में क्रय योग्य एफ.ए.आर. इन भूखण्डों पर अनुमन्य नहीं होगा।

गैर आवासीय सम्पत्तियाँ

अशोक विहार योजना, खतौली

सम्पत्ति की श्रेणी / प्रकार	सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	एफ.ए.आर	ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत	अधिकतम ऊँचाई (मी.में)	आरक्षित भूमिदर (प्र.व.मी.) फ्री होल्ड सहित	आरक्षित मूल्य (लाख में)	टोकन मनी (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
व्यावसायिक भूखण्ड 8 नग	B.Com-2	85.79	1.20	40%	उप विधि के अनुसार	23988.00	20.33	2.03
	B.Com-3	78.20	1.20	40%	उप विधि के अनुसार	23688.00	18.52	1.85
	B.Com-4	78.20	1.20	40%	उप विधि के अनुसार	23688.00	18.52	1.85
	B.Com-5	88.32 Corner	1.20	40%	उप विधि के अनुसार	25906.00	22.88	2.29
	B.Com-6	154.95 Corner	1.20	40%	उप विधि के अनुसार	25906.00	40.14	4.01
	B.Com-7	128.92	1.20	40%	उप विधि के अनुसार	23688.00	30.54	3.05
	B.Com-8	140.17	1.20	40%	उप विधि के अनुसार	23688.00	33.21	3.32
	B.Com-9	166.35	1.20	40%	उप विधि के अनुसार	23688.00	39.41	3.94

• आवासीय सम्पत्तियाँ •

नीलामी के माध्यम से आवंटित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियों का विवरण

आवासीय सम्पत्तियाँ

शाकुम्भरी विहार (मवीकला योजना संख्या-8) सहारनपुर

सम्पत्तियों की श्रेणी / प्रकार	संख्या	आरक्षण	क्षेत्रफल (व.मी. में)	आरक्षित मूल्य (रु. लाख में)	टोकन मनी (रु. लाख में)
(67/ 162 प्रकार) सेमी फिनिशड उच्च आय वर्ग भवन 03 नग	3D-49	सामान्य	166.50	42.66	2.14
	3D-51	सामान्य	166.50	42.66	2.14
	3B-113	अनुसूचित जाति	162.00	41.91	2.10

आवासीय सम्पत्तियां (नीलामी के माध्यम से)

अशोक विहार योजना, खतौली

सम्पत्तियों की श्रेणी / प्रकार	संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	भूमि दर (प्र.व.मी.) फ्री-होल्ड सहित	आरक्षित मूल्य (रु. लाख में)	टोकन मनी (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6
आवासीय भूखण्ड 01 नग	A-130	660.00	11088.00	73.18	3.66

• आवासीय सम्पत्तियाँ •

आवंटन के माध्यम से आवंटित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियों का विवरण

अशोक विहार योजना, खतौली

सम्पत्तियों की श्रेणी / प्रकार	संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	भूमि दर (प्र.व.मी.) फ्री-होल्ड सहित	आरक्षित मूल्य (रु. लाख में)	टोकन मनी (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6
सर्विस भूखण्ड 01 नग	F-372	43.20	11088.00	4.79	0.24

चरण विहार योजना, बड़ौत

सम्पत्ति की श्रेणी / प्रकार	संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	आरक्षित मूल्य (रु. लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रु. लाख में)
दुर्बल आय वर्ग भवन 01 नग	2C-238	40.32	12.50	0.63

- नोट :
- (1) दुर्बल आय वर्ग भवन हेतु आवेदक की पूर्व वित्तीय वर्ष में वार्षिक आय रु. 1,00,000/- जिसमें उसकी पत्नी व नाबालिग बच्चों की आय (यदि कुछ हो) भी सम्मिलित होगी, से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसकी पुष्टि हेतु आवेदक को अपने प्रार्थना पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत नवीनतम आय प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।
 - (2) आरक्षित वर्ग की सम्पत्ति में आवेदन करने हेतु आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अपना आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी।

प्रमाणित किया जाता है कि आवंटन योग्य सभी अवशेष रिक्त सम्पत्तियों का विज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है तथा वर्तमान में ऐसी कोई भी सम्पत्ति अवशेष रिक्त नहीं है, जो आवंटन योग्य हो एवं उक्त का समावेश विज्ञापन में न किया गया हो।



विस्तृत जानकारी के लिए कृपया परिषद के
टोल फ्री 1800 180 5333 दूरभाष: 0522-2236803 या
परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर लॉग इन करें

IS 15700:2005



सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Website: <http://www.upavp.in> E-mail: info@upavp.com

